न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 24/2016
दायर दिनांकः 01.07.2016
निर्णय दिनांक 03.10.2025

–: अनवान :–

अशोक कुमार पित्ता श्री बिहारीलाल टांक आयु 60 वर्ष निवासी नीचला बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार भीम
2. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री बिहारीलालजी टांक निवासी भीम हाल 193 ए राम कृष्ण आश्रम के सामने, नसीराबाद रोड, आदर्श नगर, अजमेर
3. श्रीमती हेमलता पुत्री श्री बिहारीलालजी टांक निवासी भीम हाल निवास नीमच माता स्कीम उदयपुर
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री श्री बिहारीलालजी टांक निवासी नीचला बाजार पड़ाव भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री श्री बिहारीलालजी टांक निवासी नीचला बाजार पड़ाव भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द
6. श्री मनोज कुमार पिता बालकिशनजी टांक निवासी सदर बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
7. श्री भरत कुमार पिता बालकिशनजी टांक निवासी सदर बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
8. श्रीमती पुष्पादेवी बेवा बालकिशनजी टांक निवासी सदर बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

– रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीम द्वारा नामान्तरण संख्या 5021 स्वीकृत दिनांक 21.6.2016 राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 10858 के संबंध में पारित आदेश से व्यथित होकर
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6,7,8
4. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 4 व 5 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3, अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 5021 स्वीकृत दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी संख्या 10858 रकबा 7.14 सात बीघा चौदह बिस्वा भूमि के संबंध में खातेदार बिहारीलाल पिता लालूराम जी

कलाल का स्वर्गवास दिनांक 30.01.1978 को होना बताते हुऐ माफिक सजरा व न्यायालय के निर्णय के आधार पर नामान्तकरण फैसल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण का आलौच्य आदेश न केवल तथ्यों व विधि के विपरीत पारित किया है बल्कि अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। राजस्व ग्राम भीम ग्राम पंचायत के अधिनस्थ होने से ग्राम पंचायत को ही नामान्तरकरण फैसल करने का अधिकार है। विरासत की जाँच करने एवं नामान्तरकरण फैसल करने बाबत् भू राजस्व नियम 131 से 137 बने हुऐ है जिसकी पालना में नामान्तरकरण फैसल किया जाता है लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षैत्र में खोले जाने वाले नामान्तरकरण को अपने स्वयं के स्तर पर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। इस प्रकार से फैसल किया गया नामान्तरकरण न केवल विधि के विपरित है बल्कि क्षैत्राधिकार से परे भी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय भीम के यहाँ पर राजस्व वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो बअनवान अशोक कुमार बनाम सुशीला वगैरा होकर प्रकरण. संख्या 39 सन् 2016 रेवेन्यु वाद एवं प्रकरण संख्या 26/2016 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होकर स्वयं तहसीलदार भीम उक्त वाद में पक्षकार होते हुऐ भी सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की जानकारी होते हुऐ भी वादग्रस्त भूमि का उक्त नामान्तरकरण फैसल किया गया है जो विधि के विपरित है। वादग्रस्त भूमि के संबध में जब सक्षम न्यायालय में अपीलांट द्वारा नियमित वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। प्रस्तुत वाद न्यायालय में इन्हीं पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारान के हक अधिकार को तय किया जाना शेष है जिसमें स्वयं तहसीलदार भीम पक्षकार है। उक्त विचाराधीन वाद के विनिश्चय को प्रभावित करने का अधिकार तहसीलदार भीम को नहीं है लेकिन उसने अपने हक अधिकार से परे जाकर सक्षम न्यायालय जिसके द्वारा इन्हीं पक्षकारो के हक अधिकार तय करने शेष है नियमित वाद के विचाराधीन होते हुऐ संक्षिप्त कार्यवाही के जरिये नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया जो विधि के विपरित है। नामान्तरकरण फैसल करने में उक्त विचाराधीन वाद का न त्तो कोई उल्लेख किया गया, न ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है। बाले बाले ही अपीलांट के हितो के विपरित प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित जाकर अपीलांट को सुने बिना आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित होकर अपास्त होने योग्य है। कानूनन यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जहाँ किसी मामले की नियमित सुनवाई वाद के जरिये की जा रही है और वाद के जरिये पक्षकारान के हक अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये जाने शेष है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही विचाराधीन होते हुऐ भी नियमित वाद के विचाराधीन के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान है क्योंकि कानूनन यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडींग है जिसमें पक्षकारान के हक अधिकार को तय नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में नियमित वाद की प्रोसिडंग जिसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय किये जाने शेष है, के विचाराधीन होते हुऐ नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के प्रावधन है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर मनन विचार किये बिना ही अपीलांट को सुने बगेर आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण फैसल करने से पहले विधिक वारीसान/उत्तराधिकारी की जाँच नहीं की है। उसका प्रमाण यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक राजेश कुमार के नाम पर नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया है। जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है उसको जीवित बताते हुऐ नामान्तरकरण फैसल करना न केवल विधि के विपरित है बल्कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ से ही अवैद्य एवं विधि विरुद्ध है। किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है और ऐसा पारित किया गया आदेश प्रारम्भ से अवैद्य शून्य व प्रभावहीन है। राजेश कुमार का स्वर्गवास हुऐ कई वर्ष गुजर चूके है इस तथ्य की जानकारी कि भरत कुमार जीवित है अथवा नहीं राजस्व अधिकारियो द्वारा नहीं की गई और सीधे ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। यदि उक्त नामान्तरकरण फैसल करने की कार्यवाही एवं वारीसान की जाँच करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती तो यह स्थिति आना सम्भव नहीं था। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारीसान, सजरे की जॉच की जाती है वो स्थानीय व्यक्ति होकर आमजन के प्रतिनिधि है जिन्हें सारे तथ्यो की वास्तविकता की जानकारी होती है इसीलिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में नामान्तरकरण फैसल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान कर रखा है क्योंकि पूर्व में इसी प्रकार से राजस्व अधिकारियो की अकर्मण्यता के कारण वास्तविक वारीसान के नाम पर वारीसान की वास्तविक जाँच किये बगैर नामान्तरकरण फैसल कर दिये गये थे जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगी इस कारण से राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो में संशोधन करते हुऐ राजस्व भूमि के संबध में नामान्तरकरण फैसल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। उस व्यवस्था के विपरित जाते हुऐ अर्थात अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण फैसल किया गया है जो विधि विपरीत हैं। बिहारीलाल जी का स्वर्गवास सन 1978 में हुआ था और स्वर्गवास के 38 वर्ष बाद जो नामान्तरकरण फैसल किया गया है वह विधि के विपरित है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्च आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 6,7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लडढा ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी संख्या 10858 रकबा 7.14 सात बीघा चौदह बिस्वा भूमि के संबंध में खातेदार बिहारीलाल पिता लालूराम जी कलाल का स्वर्गवास दिनांक 30.01.1978 को होना बताते हुऐ स्वर्गवास के 38 वर्ष बाद माफिक सजरा व न्यायालय के निर्णय के आधार पर नामान्तकरण फैसल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण का आलौच्य आदेश न केवल तथ्यों व विधि के विपरीत पारित किया है बल्कि अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। राजस्व ग्राम भीम ग्राम पंचायत के अधिनस्थ होने से ग्राम पंचायत को ही नामान्तरकरण फैसल करने का अधिकार है। विरासत की जाँच करने एवं नामान्तर करण फैसल करने बाबत् भू राजस्व नियम 131 से 137 बने हुऐ है जिसकी पालना में नामान्तरकरण फैसल किया जाता है लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में खोले जाने वाले नामान्तरकरण को अपने स्वयं के स्तर पर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। इस प्रकार से फैसल किया गया नामान्तरकरण न केवल विधि के विपरित है बल्कि क्षैत्राधिकार से परे भी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय भीम के यहाँ पर राजस्व वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो बअनवान अशोक कुमार बनाम सुशीला वगैरा होकर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण संख्या 39 सन् 2016 रेवेन्यु वाद एवं प्रकरण संख्या 26/2016 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होकर स्वयं तहसीलदार भीम उक्त वाद में पक्षकार होते हुऐ भी सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की जानकारी होते हुऐ भी वादग्रस्त भूमि का उक्त नामान्तरकरण फैसल किया गया है जो विधि के विपरित है। वादग्रस्त भूमि के संबध में जब सक्षम न्यायालय में अपीलांट द्वारा नियमित वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। प्रस्तुत वाद न्यायालय में इन्हीं पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारान के हक अधिकार को तय किया जाना शेष है जिसमें स्वयं तहसीलदार भीम पक्षकार है। उक्त विचाराधीन वाद के विनिश्चय को प्रभावित करने का अधिकार तहसीलदार भीम को नहीं है लेकिन उसने अपने हक अधिकार से परे जाकर सक्षम न्यायालय जिसके द्वारा इन्हीं पक्षकारो के हक अधिकार तय करने शेष है नियमित वाद के विचाराधीन होते हुऐ संक्षिप्त कार्यवाही के जरिये नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया जो विधि के विपरित है। नामान्तरकरण फैसल करने में उक्त विचाराधीन वाद का न त्तो कोई उल्लेख किया गया, न ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है। बाले बाले ही अपीलांट के हितो के विपरित प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित जाकर अपीलांट को सुने बिना आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित होकर अपास्त होने योग्य है। कानूनन यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जहाँ किसी मामले की नियमित सुनवाई वाद के जरिये की जा रही है और वाद के जरिये पक्षकारान के हक अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये जाने शेष है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही विचाराधीन होते हुऐ भी नियमित वाद के विचाराधीन के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान है क्योंकि कानूनन यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडीग है जिसमें पक्षकारान के हक अधिकार को तय नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में नियमित वाद की प्रोसिडंग जिसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय किये जाने शेष है, के विचाराधीन होते हुऐ नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के प्रावधन है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर मनन विचार किये बिना ही अपीलांट को सुने बगेर आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्च आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6,7 व 8 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार भीम के द्वारा जो नामान्तरण खोला गया वह सहीं व उचित रूप से जाँच कर के खोला गया है। जो विधि अनुसार है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय भीम के यहाँ पर राजस्व वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो बअनवान अशोक कुमार बनाम सुशीला वगैरा होकर प्रकरण संख्या 39 सन् 2016 रेवेन्यु वाद एवं प्रकरण संख्या 26/2016 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना बताया है, उसका कोई भी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नही हैं। उक्त अपील में अपीलांट के कोई हक अधिकार प्रभावित नही हो रहे हैं। राजेश कुमार के कोई विधिक वारिसान भी नही हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विवादित नामान्तरकरण संख्या 5021 दिनांक 21.06.2016 का अवलोकन किया गया। इस नामान्तरकरण में तहसीलदार, भीम ने यह स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि खातेदार बिहारी लाल की दिनांक 30.01.1978 को मृत्यु हो चुकि है जिसका नामान्तर करण पूर्व में 3161 पर दर्ज हो चुका है परन्तु एक खाता छुट जाने से यह नामान्तर करण दायर किया गया हैं। तो इस प्रकार तहसीलदार, भीम ने जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। पूर्णतया प्रशासनिक रूप से पूर्व में जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया प्रकट हुआ हैं। जिसमें यह नही माना जा सकता है कि तहसीलदार, भीम को यह नामान्तरकरण किये जाने का क्षैत्राधिकार नही था, साथ ही अपीलांट श्री अशोक कुमार बिहारीलाल जी के पुत्र है तथा उनके द्वारा यह आपत्ती की गई है कि श्री राजेश कुमार जो कि अन्य सहखातेदार बालकिशन जी का पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई है। इस आधार पर यह नामान्तरकरण खारिज योग्य हैं। यदि अन्य सहखातेदार श्री बालकिशन जी के पुत्र श्री राजेश कुमार जी की मृत्यु हो गई है तो राजेश कुमार जी के वारिसान आज भी पंचायत में जाकर नामान्तरकरण करवाने हेतु स्वतंत्र हैं। उससे अशोक कुमार के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड रहा हैं। अतः यहॉ पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उसमें स्वयं अपीलांट श्री अशोक कुमार पिता बिहारीलाल तथा बिहारीलाल के अन्य वारिसान का नाम भी दर्ज किया गया हैं। अतः इस नामान्तरकरण से कही भी यह जाहिर नही हुआ है कि अपीलांट के अधिकारो के साथ में कोई प्रतिकुल कार्य किया गया हो या तहसीलदार ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरण खोला हो। तहसीलदार द्वारा पूर्व में नामान्तरकरण में कोई कमी रह गयी हो उसे यहॉ सुधारा गया हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद